सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A2

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारीः— श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या ~~01/2016~~ 3/14 दायरा दिनांक 14.05.2014
गुरदेव कौर पुत्री ईशर सिंह जाति मजबी सिख पत्नी वीरसिंह निवासी मोहलां तहसील श्री करणपुर ..... अपीलांट

बनाम

1. हाकमसिंह पुत्र ईशर सिंह जाति मजबी सिख निवासी मोहलां त. श्री करणपुर
2. बसन्त कौर पुत्री गुरदेवसिंह मजबी सिख निवासी मोहलां त. श्री करणपुर
3. जगतारसिंह पुत्र गुरदेवसिंह मजबी सिख निवासी मोहलां त. श्री करणपुर
4. डिप्टी सिंह पुत्र गुरदेवसिंह मजबी सिख निवासी मोहलां त. श्री करणपुर
5. बलकरणसिंह पुत्र गुरदेवसिंह मजबी सिख निवासी मोहलां त. श्री करणपुर
6. धौला कौर पुत्री गुरदेव सिंह मजबी सिख निवासी मोहलां त. श्री करणपुर
7. निरन्जन सिंह पुत्र चानन सिंह मजबी सिख निवासी मोहलां त. श्री करणपुर
8. कालू सिंह पुत्र चाननसिंह मजबी सिख निवासी मोहलां त. श्री करणपुर
9. जग्गासिंह पुत्र चानन सिंह मजबी सिख निवासी मोहलां त. श्री करणपुर
10. स्टेट आफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार केसरीसिंहपुर
11. गुलाब कौर पत्नी हरदयाल सिंह
12. कर्म सिंह पुत्र हरदयाल सिंह .....रैस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार केसरीसिंहपुर दिनांक 02.08.13 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 504 तस्दीक किया गया।

उपस्थितः—
1. श्री ओम प्रकाश बतरा एडवोकेट जरिये अपीलांट
2. श्री रामेश्वर लाल सुथार एडवोकेट जरिये रैस्पोडेंटस संख्या 11 व 12

।। आदेश ।। दिनांकः— 23/1/18

1. तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट द्वारा अपील इस आश्य की पेश की गई कि अपीलांट तथा अपीलांट के भाई गुरदेवसिंह को बतौर नॉन कलैमेन्ट के चक 12 एच तह. श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर में मु. नं. 16 में 22 बीघा रकबा जीवों के आधार पर अलाट किया गया जिसमें गुरदेवसिंह पुत्र, बुधसिंह भाई, हाकमसिंह भाई, वीरो माता व गुरदेवकौर बहन (अपीलांट) कुल पांच जीव थे, के आधार पर अलाट किया गया था जिसमे अपीलांट का 1/5 हिस्सा बना। गुरदेवसिंह, बुधसिंह तथा अपीलांट की माता का भी स्वर्गवास हो गया। अपीलांट व अपीलांट का भाई हाकमसिंह जीवित है। गुरदेवसिंह के मरने के बाद उसकी पत्नि बसंतकौर ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर ने गुरदेवसिंह के उतराधिकारी के नाम से दर्ज करने का आदेश दिया गया जिसके खिलाफ अपीलांट ने सैटलमेंट कमिश्नर श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की जो कि दिनांक 30.05.1989 को स्वीकार की गयी तथा मामला जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर को रिमाण्ड किया गया जो विचाराधीन है। इसी बीच में डीपी एक्ट रीपील हो गया तथा कार्यवाही ही समाप्त हो गयी। रेस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर के समक्ष पेश किया जिस पर उपजिलाधीश श्रीकरणपुर बिना किसी आधार के सनद जारी करते हुए अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया गया जबकि अपीलांट का नाम अलाटमेंट में पारिवारिक सदस्यों में शामिल थी तथा मृतक व्यक्ति के हक में सनद भी कानूनन जारी नही हो सकती है। सनद के बारे में जानकारी होने पर उसके खिलाफ

A2
11

अपील राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर में कर रखी है जो कि विचाराधीन है। इसी बीच में रेस्पोडेंटस द्वारा बिना किसी अपीलांट के सुने बुलाये ही इंतकाल अपने नाम से करवा लिया गया है तथा इसके आधार पर अब भूमि के मुन्तकिल करने व बेदखल करने की कोशिश करने पर अपीलांट को 12.05.2014 को पता चलने पर उसने पटवारी हल्का से संपर्क किया तो इतंकाल जैर अपील होने का पता चला। इस पर यह अपील अदालत वाला में निम्नलिखित आधारों पर पेश की जा रही है जो गलत व खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। इतंकाल दर्ज करने से पूर्व अदालत मातहत ने न तो अपीलांट को कोई नोटिस किया , न ही सुना गया जबकि वह अलाटी है तथा उसका कब्जा 1/5 हिस्सा पर चला आ रहा है, अतः इतंकाल गलत एकतरफा तस्दीक किया गया है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार है तथा उसको बिना बुलाये इन्तकाल करने के कारण भी निरस्तनीय है। इतंकाल करने से पूर्व न तो मजमे आम मे कोई जांच की गयी, न ही इतंकाल नियमों की पालना की गयी, न ही लैण्ड रिकार्ड नियमों के आदेशात्मक प्रावधानों धारा 126 से 135 तक की पालना की गयी है, इस प्रकार से इतंकाल जैर अपील स्पष्ट ही गलत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को अगर नोटिस दिया जाता, मजमे आम में जांच की जाती , कब्जा की जांच की जाती तो अपीलांट सही तथ्य अदालत मातहत के समक्ष रखती, गलत आदेशों के बारे में तथा गलत सनद के बारे में व उसके खिलाफ अपील की होने के बारे में भी जानकारी देती तो ऐसा इतंकाल आदेश कतई पारित नहीं किया जाता। इस प्रकार से अपीलांट के हितों की अनदेखी हुई हैं। वह 1/5 हिस्सा की खातेदार हकदार है तथा उसके सम्पति के अधिकार भी प्रभावित हुए है । काननून पहले कानूनी प्रक्रिया अपना कर सभी प्रभावित को नोटिस जारी करना मजमे आम में जांच कर तथा सुनवाई कर इतंकाल दर्ज करने का आदेश दिया जा सकता है। अपीलांट को जब रेस्पोडेंट कब्जा करने व जमीन को बेचने की कोशिश करने लगे तो दिनांक 12.05.2014 को पता चला। इस पर उसने दिनांक 13.05.2014 को पटवारी से संपर्क किया तो पता चला कि इंतकाल करवाया हुआ है। इस पर नकल हासिल की व यह अपील बिना किसी देरी के पेश कर रही है। अपील पेश करने मे जानबुझ कर देरी नहीं की है बल्कि जानकारी के अभाव में देरी हुई है जो कन्डोन योग्य है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई व रैस्पोडेंटस को सुनवाई हेतु तलब किया गया। रैस्पोडेंटस संख्या 1 से 10 की ओर से श्री भूरा मल स्वामी एवं रैस्पोडेंटस संख्या 11 व 12 की ओर से श्री रामेश्वर लाल सुथार एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाया गया। रैस्पो.संख्या 1 से 10 के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इस पर दिनांक 3.11.17 को उक्त के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. बहस उभय पक्षीय सुनी गई। सुयोग्य अधिवक्ता अपीलांट की बहस अपील मीमो में दर्ज तथ्यों पर आधारित रही उनका कथन है कि अपीलांट तथा अपीलांट के भाई गुरदेवसिंह को बतौर नॉन कलैमेन्ट के अपीलकृत रकबा सदस्यों के आधार पर अलाट किया गया जिसमें गुरदेवसिंह पुत्र ईशरसिंह, बुधसिंह भाई हाकमसिंह भाई, वीरो माता व गुरदवेकौर बहन (अपीलांट) कुल पांच जीव थे, के आधार पर अलाट किया गया था जिसमे अपीलांट का 1/5 हिस्सा बनता। गुरदेवसिंह तथा अपीलांट की माता का भी स्वर्गवास हो गया। अपीलांट व अपीलांट का भाई हाकमसिंह जीवित है। गुरदेवसिंह के मरने के बाद उसकी पत्नि बसंतकौर ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर डी.आर.ओ. श्रीगंगानगर ने गुरदेवसिंह के उतराधिकारी के नाम से दर्ज करने का आदेश दिया गया जिसके खिलाफ अपीलांट ने सैटलमेंट कमिश्नर श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की जो कि दिनांक 30.05.1989 को स्वीकार की गयी तथा मामला जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर को रिमाण्ड किया गया जो विचाराधीन है। इसी बीच में डीपी एक्ट रीपील हो गया तथा कार्यवाही ही समाप्त हो गयी। रेस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर के समक्ष पेश किया जिस पर उपजिलाधीश श्रीकरणपुर बिना किसी आधार के सनद जारी करते हुए अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया गया जबकि अपीलांट का नाम अलाटमेंट में पारिवारिक

A2
12

सदस्यों में शामिल था तथा मृतक व्यक्ति के हक में सनद भी कानूनन जारी नही हो सकती है। सनद के बारे में जानकारी होने पर उसके खिलाफ अपील राजस्व अपील अधिकारी श्री गंगानगर मे विचाराधीन है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी इन्तकाल निरस्त फरमाया जावे।

इसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता रैस्पो.संख्या 11 व 12 का तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी करणपुर के आदेशों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सनद का इन्तकाल संख्या 504 तस्दीक किया गया था। यदि अपीलांट को सनद के संबंध में कोई आपति थी तो सनद को चुनौति दी जानी चाहिये न कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों की पालना में जारी इन्तकाल को। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। आराजी जेर अपील अलाटमेंट आदेश के अनुसार 1. गुरदेवसिंह 2. बुधसिंह 3. हाकमसिंह 4. वीरो व 5. गुरदेवकौर (अपीलांट) कुल पांच के जीवों के आधार पर अलाट किया गया था जिसमे अपीलांट द्वारा उसका 1/5 हिस्सा होना बताया गया है लेकिन सनद में अपीलांट गुरदेव कौर का नाम नहीं जोड़ा गया। सनद के आधार पर अदालत मातहत द्वारा जेर अपील इन्तकाल संख्या 504 पारित किया गया। जिसे कि अपीलांट द्वारा अपील हाजा के जरिये चुनौति दी गई है।

5. जहां तक वकील रैस्पो. का तर्क है कि सनद को चुनौति दी जानी चाहिये थी। इस संबंध में अपीलांट द्वारा अवगत करवाया गया है कि सनद को चुनौति दे रखी है उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर द्वारा दिनां 04.06.2013 को सनद जारी की गयी है। सनद के आधार पर तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा इतंकाल संख्या 504 दिनांक 02.08.2013 पारित किया गया। तहसीलदार द्वारा उक्त इतंकाल उपखंड अधिकारी के आदेशों की पालना में किया गया है जिस पर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133–135 के उपबंध लागू नहीं होते। अपीलांट द्वारा सनद मे दुरूस्ती करवाने की चाराजोही की जावे। आदेश अदालत मातहत में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6. निर्णय की प्रति के साथ रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जाये। पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

7. आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित किया जाकर न्यायालय की मुहर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला कलक्टर (
श्रीगंगानगर